न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 36/2021
GCMS NO. : 2021/61

–: वादीया :– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

1. विमलादेवी पत्नी गंगाराम जाति–ब्राह्मण निवासी–देवरिया तहसील जैतारण जिला पाली।

बनाम

1. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी जैतारण जिला पाली।
2. नंदकिशोर पुत्र गंगाराम जाति–ब्राह्मण निवासी–देवरिया तहसील जैतारण जिला पाली।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.20/07/2021

उपस्थितः– 1. श्री रामलाल देवासी, अधिवक्ता वादीया।
2. तहसीलदार जैतारण एवं श्री हरिओम पारिक, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 2

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 24/02/2022

वकील मय वादीया ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि वादीया की पैतृक पुश्तैनी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा पाटवा पटवार हल्का पाटवा भू–अभिलेख क्षैत्र बैड़कलां तहसील जैतारण जिला पाली में खसरा नम्बर 812 रकबा 13 बीघा 11 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 823 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा की कृषि भूमि आई हुई है जिसमें वादीया अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्तकार एवं खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त सम्पत्ति वादीया के पति गंगाराम के फौत होने पर फौतेदगी नामान्तरण में वादीया के लाड प्यार के एवं घर में बोलचाल की भाषा में लिये जाने वाले वादीया का नाम इमलीदेवी पत्नी गंगाराम के नाम से नामान्तरण दर्ज कर दिया गया। जबकि वादीया का सही व वास्तविक नाम एवं दस्तावेजी नाम विमलादेवी पत्नी गंगाराम है जो वादीया के राजस्थान सरकार द्वारा जारी राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान कार्ड, भामाशाह, बैंक अकाउन्ट, शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्र आदि में भी वादीया का नाम विमलादेवी पत्नी गंगाराम दर्ज है जो वादपत्र के साथ संलग्न है। इस प्रकार वर्णित नामान्तरण के साथ दर्ज राजस्व रेकर्ड मानवीय त्रुटि व रोंग एन्ट्री है जो आज दिन तक राजस्व रेकर्ड में चल रही है तथा रोंग एन्ट्री की जानकारी दिनांक 20/06/2021 को होने पर पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर पता चला तो पटवारी हल्का ने [illegible] एन्ट्री को न्यायालय से दुरस्त करवाने का कथन किया जिसके सम्बन्ध में वादीया की पैतृक पुश्तैनी सम्पत्ति में उक्त रोंग एन्ट्री एवं रेकर्ड दुरस्त करवाने के अधिकारी है। यह वादपत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:49:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

बाबत् घोषणा का विरुद्ध प्रतिवादी के पेश है। वादीया को आये दिन उक्त रेकर्ड को लेकर अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड रहा है तथा सरकारी एवं गैरसरकारी योजनाओं से फायदा नहीं उठा पा रहे है न ही ऋण आदि व किसानकार्ड बन रहा है। जिस पर सहखातेदारों से सम्पर्क किया तो उन्होनें मौके पर कब्जे काश्त एवं अपने नाम की रेकर्ड दुरूस्त करवाने का कथन किया इसलिए सहखातेदारों के विरूद्ध किसी प्रकार की इस्तदुआ नहीं चाही गई है इसलिए सहखातेदार काश्तकार को प्रतिवादी पक्षकार नहीं बनाया गया है। धारा 80(2) सी.पी.सी. का प्रार्थना–पत्र वादपत्र के साथ पेश है। बिनाय वाद दिनांक 20/06/2021 को पटवारी हल्का से सम्पर्क करने एवं उसके द्वारा न्यायालय से आदेश लाने बाबत् कथन करने एवं न्यायालय आदेश से ही रेकर्ड दुरूस्त करने एवं उक्त रोंग एन्ट्री हटाने का कथन करने पर बमुकाम देवरिया तहसील जैतारण जिला पाली में पैदा हुआ जो श्रीमान् के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से श्रीमान् के समक्ष पेश है।

इस पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायलान को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायलान ने जवाब दावा प्रस्तुत किया, जो सा.मि. है। गैरसायल संख्या 02 ने अपने जवाब दावा में कथन किया कि वादपत्र में अंकित पैरा संख्या 01 से 04 सही व सत्य होने से स्वीकार है एवं पैरा संख्या 05 से 07 कानूनी है। वादपत्र के पैरा संख्या 08 का जवाब है कि वादपत्र में वर्णित भूमि में वादीया के पति के फौत होने पर फौतेदगी नामान्तरण में वादीया का नाम इमलीदेवी पत्नी गंगाराम दर्ज किया है जो एक रोंग एन्ट्री है एवं गलत इन्द्राज है, जिसे हटाया जावे। एवं उसके स्थान पर रेकर्ड दुरूस्ती कर वादीया का सही एवं दस्तावेजी नाम विमला देवी पत्नी गंगाराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जावे तो जवाब देहान्दा को किसी प्रकार की कोई आपत्ति उजर ऐतराज नहीं है।

गैरसायल संख्या 01 तहसीलदार जैतारण ने अपने जवाब दावा में कथन किया कि वादपत्र का पैरा संख्या 01 राजस्व रेकर्ड के आधार पर स्वीकार है। प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 कैम्प पाटवा में मजमे–आम में जांच पटवारी अनुसार वादीया का सही नाम विमला देवी है जिसे परिवार व गांव में बोलचाल में ईमलीदेवी कहते है, इस नाम का अन्य कोई ग्राम में नहीं है। मजमे–आम जांच अनुसार विमलादेवी पत्नी गंगाराम दर्ज करना उचित है। वादपत्र के बिन्दू संख्या 04 से 07 कानूनी बिन्दू है। मजमे–आम जांच के आधार पर विमलादेवी पत्नी गंगाराम शुद्ध किया जाना उचित है।

वकील वादी ने वाद के समर्थन में साक्ष्य के शपथ पत्र पेश किया, दस्तावेजात् प्रदर्श करवाये गये जो सा0[illegible]। बहस वकील उभयपक्ष राजस्व वाद बाबत् घोषणा अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:49:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील उभयपक्ष पर गौर कर मनन किया। ग्राम पाटवा की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के खसरा नम्बर 812 रकबा 13 बीघा 11 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 823 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा में इमलीदेवी पत्नी गंगाराम बतौर सह-खातेदार दर्ज है। जमाबन्दी संवत् 2046-2049 (प्रदर्श-2) में अंकित नामांतरण के नोट एवं प्रदश-5 के अनुसार नामान्तरण संख्या 1223 दिनांक 08/06/1992 के द्वारा वादग्रस्त आराजी में गोपाल, नंदकिशोर पिसरान गंगाराम, इमली देवी बेवा गंगाराम नाम की प्रविष्टियां दर्ज हुई। वादीया के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में साक्ष्य शपथ पत्र P/W 01 एवं गवाह माधवराम पुत्र भंवरलाल का साक्ष्य शपथ पत्र P/W 02 पेश किये। वादीया विमला देवी के साक्ष्य शपथ-पत्र P/W 01 एवं गवाह के शपथ पत्र P/W 02 के अनुसार वादीया का सही एवं वास्तविक नाम विमला देवी है ना कि ईमली देवी। वादीया ने यह कथन किया कि वादीया के अन्य समस्त दस्तावेज विमला देवी पत्नी गंगाराम के नाम से है तथा जमाबन्दी संवत् 2050-53, संवत् 2054-57 एवं संवत् 2074 से 2077 में इमली देवी पत्नी गंगाराम नाम दर्ज होने से उसे भारी परेशानियां उठानी पड़ रही है। प्रदर्श दस्तावेज प्रदर्श-6ए (भारत निर्वाचन आयोग का पहचान-पत्र), प्रदर्श-7ए (आधार-कार्ड), प्रदर्श-8ए (सामाजिक सुरक्षा पेंशन आदेश), प्रदर्श-9ए (राशन-कार्ड), प्रदर्श-10ए (पैन-कार्ड) के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादीया का नाम विमला देवी है। प्रतिवादी संख्या 02 ने वादीया के वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के संबंध में कोई आपत्ति उजर ऐतराज नहीं किया है। प्रतिवादी संख्या 01 तहसीलदार जैतारण द्वारा जवाब दावे में यह स्पष्ट किया है कि मजमे-आम में जांच पटवारी अनुसार वादीया का सही नाम विमलादेवी है जिसे परिवार व गांव में बोलचाल में ईमली देवी कहते है। इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति ग्राम में नहीं है। अतः मजमे-आम जांच के आधार पर विमला देवी पत्नी गंगाराम शुद्ध किया जाना उचित है। अतः वादग्रस्त आराजी के भू-अभिलेख में वादीया का नाम ईमली देवी के स्थान पर विमला देवी दर्ज किया जाना उचित है। इस प्रकार तहसीलदार जैतारण एवं प्रतिवादी संख्या 02 के जवाब-दावे एवं वादीया एवं गवाह के शपथ-पत्र एवं प्रदर्श दस्तावेजात् के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त सामलाती आराजी में वादीया का सही एवं वास्तविक नाम विमला देवी है न कि ईमली देवी। भू-अभिलेख में दर्ज ईमली देवी वस्तुतः एक लिपिकीय एवं स्थानीय भाषागत उच्चारण से संबंधित दोष से जनित त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि है। अतः वाद वादीया स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित एवं विधि संगत समझते है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:49:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (कैम्प कोर्ट) जैतारण (पाली)

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादीया अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा पाटवा पटवार हल्का पाटवा तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान में खसरा नम्बर खसरा नम्बर 812 रकबा 13 बीघा 11 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 823 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा में बतौर खातेदार दर्ज वादीया के नाम की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि ***"इमलीदेवी पत्नी गंगाराम"*** को विलोपित करते हुये उसके स्थान पर वादीया के सही एवं वास्तविक नाम की प्रविष्टि ***"विमला देवी पत्नी गंगाराम"*** दर्ज करते हुये वादीया को वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कद्र निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ़्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–पाली (राज०)

निर्णय आज दिनॉक 24/02/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–पाली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:49:52 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 21 रूल्स 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकामः– जैतारण
बईजलास :– श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0

–: वादीया :–	**बनाम**	**–: प्रतिवादीगण :–**
1. विमलादेवी पत्नी गंगाराम जाति–ब्राह्मण निवासी–देवरिया तहसील जैतारण जिला पाली।		1. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी जैतारण जिला पाली। 2. नंदकिशोर पुत्र गंगाराम जाति–ब्राह्मण निवासी–देवरिया तहसील जैतारण जिला पाली।

मु0न0 :रा0वा0 स0: 36/2021

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री रामलाल देवासी, अधिवक्ता, वादीया मिनजानिब मुद्धई व तहसीलदार जैतारण एवं श्री हरीओम पारिक, अधिवक्ता, प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि बाद वादीया अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा पाटवा पटवार हल्का पाटवा तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान में खसरा नम्बर खसरा नम्बर 812 रकबा 13 बीघा 11 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 823 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा में बतौर खातेदार दर्ज वादीया के नाम की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि ***"इमलीदेवी पत्नी गंगाराम"*** को विलोपित करते हुये उसके स्थान पर वादीया के सही एवं वास्तविक नाम की प्रविष्टि ***"विमला देवी पत्नी गंगाराम"*** दर्ज करते हुये वादीया को वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कद्र निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ़्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **24/02/2022** को जारी किया गया।

मोहर

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:49:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–पाली (राज0)

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	13.00	स्टाम्प वकालतनामा	5.00
स्टाम्प वकालतनामा	10.00	स्टाम्प अर्जी	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	0.00	महनताना वकील	0.00
महनताना वकील	0.00	खर्चा गवाहान	0.00
खर्चा गवाहान	2.00	फीस कमीश्नर	0.00
फीस कमीश्नर	0.00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	मुत्फरिक	0.00
मिजानः–	25.00	मिजानः–	5.00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:49:52 IST
Reason: SelfAttested